तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 92/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/154) बअनवान पुष्पकंवर व अन्य बनाम चन्द्रकंवर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

पुष्पकंवर व अन्य

बनाम

श्रीमती चन्द्र कंवर इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री उम्मेदसिंह बावरला अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1,2,4,5,9
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 11

आदेश

दिनांक 07.02.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2022 अनवान चन्द्र कंवर व अन्य बनाम पुष्प कंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 अप्रैल 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में रेस्पोडेंटस संख्या एक, दो, चार व 1/3 की माता जड़ाव कंवर एवं तुलछा कंवर पत्नी कुनणदान की ओर से वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट संख्या 3/1 की माता जड़ाव कंवर व तुलछा कंवर का देहांत हो जाने से रेस्पोडेंट संख्या एक, दो व चार ने राजीखुशी अपनी स्वेच्छा से अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 92/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/154) बअनवान पुष्पकंवर व अन्य बनाम चन्द्रकंवर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि खातेदार कुनणदान की सम्पति में सें .पुत्रों के साथ पुत्रियों का हक प्राप्त करने बाबत धारा 88, 188, 53 में वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें हमारे पारिवारिक विवाद बढ जाने से पूर्व स्थिति ही रखना चाहते है। हमारा लगाया हुआ दावा स्वेच्छा से जरिये विड्रोल करना चाहते है, प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे, जिससे हमारे घर में शांति बनी रह सके। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद को जरिये विड्रो खारिज कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या एक से चार के द्वारा पूर्व वाद जरिये राजीनामा विड्रो करवाने के पश्चात वास्तविक एवं हकीकत तथ्यो को छुपाते हुए मनगढंग व बनावटी तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नया वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। रेस्पोडेंट संख्या एक से चार की आज से बहुत वर्ष पहले शादी हो चुकी है जो अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में निवास करती है। इस कारण वादग्रस्त आराजी पर कभी भी उनका कब्जा काश्त नहीं रहा है। रेस्पोडेंट संख्या पांच से दस के कहने व उनके बहकावे में आकर रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने मनगढंत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी का अपीलांट संख्या एक से तीन के पति व पिता प्रभुदान एवं रेस्पोडेंट संख्या पांच से दस के नाम विधि अनुसार दर्ज की गई थी जो सहखातेदारों ने आपसी पूर्ण सहमति से विवादग्रस्त कृषि भूमि का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा कर खाते अलग-अलग करवा लिये है। उक्त तथ्यों की जानकारी वादीगण को पूर्व से ही थी। अपीलांट संख्या एक से तीन द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विधि व नियमानुसार प्रतिफल के बदले अपीलांट संख्या चार से छः के पक्ष में बेचाननामा निष्पादित करवाने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या पांच से दस ने अपीलांट को तंग व परेशान करने एवं ब्लेकमेल करने की नियत से वाद प्रस्तुत करवाया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध एवं एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होने से अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2022 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो. की खातेदारी की भूमि है, जिसमें रेस्पो. का जन्म से ही अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय में मूल प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना है। अतः प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं होने से तथा सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपनी पुश्तैनी व संयुक्त हिंदु परिवार की भूमि बताते हुए खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित करने के लिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2022 के जरिये अपीलांट्स को उनके पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये नामांतरकरण की छूट प्रदान की जाकर त्वरित अनुतोष प्रदान किया जा चुका है।

अपीलांट्स का उज्र है कि वादीगण द्वारा पूर्व में वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया जो जरिये विड्रो खारिज किया जा चुका है। इसलिए हस्तगत वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में अदालत हाजा का मत है वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में पुनः वाद प्रस्तुत किये जाने के तथ्य का मूल वाद में निस्तारण होना है। हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस स्तर पर अपीलांट के उक्त उज्र का निस्तारण किया जाना संभव नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर